भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5519

जिसका उत्तर 5 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है।

15 चैत्र, 1945 (शक)

मृत व्यक्तियों का आधार

5519. एडवोकेट अदूर प्रकाश

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मृत व्यक्ति के आधार को निष्क्रिय करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक के आधार को निष्क्रिय करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रावधान को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(ङ) वर्तमान में आधार धारक जनसंख्या की प्रतिशतता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की कोई योजना जनगणना के लिए आधार आंकड़ों का उपयोग करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी ,नहीं।

(ख): वर्तमान में, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत आधार को निष्क्रिय करने के लिए मृत व्यक्तियों की आधार संख्या प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है,

(ग) और (घ): उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि भारत के महापंजीयक ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय एक मृत व्यक्ति की आधार संख्या को जानने के संबंध में, आधार को निष्क्रिय करने के लिए प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रार द्वारा बाद में आधार संख्या साझा करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मसौदा संशोधनों पर प्राधिकरण के सुझाव मांगे थे।

(ङ): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत के सभी निवासियों के संबंध में डिजिटल पहचान (आधार) और डिजिटल प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है। प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 28.2.2023 तक, उसके द्वारा 136 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी की जा चुकी है और मृत्यु की अनुमानित संख्या को समायोजित करने के बाद, जीवित आधार संख्या धारकों की अनुमानित संख्या 130.2 करोड़ है, जो कि अधिक है 2022 के लिए कुल अनुमानित जनसंख्या का 94% है । इसका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(च): भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि जनगणना के लिए आधार डेटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं है।

*****

अनुबंध

जीवित आधार संख्या धारकों की अनुमानित संख्या का विवरण

(28.2.2023 तक)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (2022 के लिए अनुमानित)	आधार असाइन किया गया (लाइव)	संतृप्ति प्रतिशत (लाइव)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	4,02,000	3,89,814	96.97%
2	आंध्र प्रदेश	5,29,72,000	5,20,22,693	98.21%
3	अरुणाचल प्रदेश	15,48,000	12,43,448	80.33%
4	असम	3,53,78,000	3,07,00,745	86.78%
5	बिहार	12,49,19,000	10,93,04,466	87.50%
6	चंडीगढ़	12,19,000	11,65,303	95.59%
7	छत्तीसगढ	2,98,36,000	2,82,91,224	94.82%
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6,44,174	6,03,173	93.64%
9	दिल्ली	2,09,65,000	2,27,80,450	108.66%
10	गोवा	15,67,000	16,26,423	103.79%
11	गुजरात	7,06,48,000	6,55,39,544	92.77%
12	हरियाणा	2,98,46,000	3,02,11,454	101.22%
13	हिमाचल प्रदेश	74,31,000	77,73,590	104.61%
14	जम्मू कश्मीर	1,35,05,000	1,17,39,277	86.93%
15	झारखंड	3,89,69,000	3,59,40,602	92.23%
16	कर्नाटक	6,72,68,000	6,48,93,395	96.47%
17	केरल	3,56,33,000	3,74,37,115	105.06%
18	लद्दाख	2,99,000	2,40,182	80.33%
19	लक्षद्वीप	68,000	74,013	108.84%
20	मध्य प्रदेश	8,55,48,000	7,80,18,912	91.20%
21	महाराष्ट्र	12,54,11,000	11,89,91,428	94.88%
22	मणिपुर	31,94,000	26,49,224	82.94%
23	मेघालय	33,18,000	23,02,923	69.41%
24	मिजोरम	12,27,000	11,94,716	97.37%
25	नगालैंड	22,13,000	13,62,624	61.57%
26	ओडिशा	4,41,62,000	4,41,31,247	99.93%
27	पुदुचेरी	13,62,786	12,95,499	95.06%
28	पंजाब	3,05,35,000	3,13,17,377	102.56%
29	राजस्थान	8,01,53,000	7,53,62,692	94.02%
30	सिक्किम	6,83,000	5,77,440	84.54%
31	तमिलनाडु	7,66,31,000	7,43,94,675	97.08%
32	तेलंगाना	3,79,07,000	3,85,80,185	101.78%
33	त्रिपुरा	41,09,000	38,29,261	93.19%
34	उत्तर प्रदेश	23,32,97,000	21,80,89,797	93.48%
35	उत्तराखंड	1,15,18,000	1,16,15,914	100.85%
36	पश्चिम बंगाल	9,86,04,000	9,63,34,739	97.70%
	कुल	**1,37,29,89,959**	**1,30,20,25,563**	**94.83%**

स्रोत: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

******